

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-दो

सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2026 (फाल्गुन 4, 1947)

कार्यमंत्रणा समिति का अष्टम् प्रतिवेदन

कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2026 में लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय एवं विधायी कार्यों पर चर्चा के लिये समय का निर्धारण करने की सिफारिश को सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2026 को सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई :-

1. वित्तीय कार्य -

- (i) वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्ययक का उपस्थापन मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2026 को मध्याह्न 12.30 बजे किया जायेगा। आय व्ययक पर सामान्य चर्चा, गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी, 2026 एवं शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2026 को होगी।
- (ii) सोमवार, दिनांक 9 मार्च, 2026 से मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 2026 तक वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में सम्मिलित विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तत्पश्चात विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन किया जायेगा।
- (iii) बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्ययक की अनुदान की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण होगा।

2. वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण किया गया, जो इस प्रकार है :-

निर्धारित समय

- | | |
|---|------------------|
| (1) श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री | - 2 घंटे |
| (2) श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री | - 2 घंटे |
| (3) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री | - 2 घंटे |
| (4) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री | - 2 घंटे |
| (5) श्री राम विचार नेताम, कृषि मंत्री | - 1 घंटे 30 मिनट |
| (6) श्री दयाल दास बघेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री | - 1 घंटे 30 मिनट |
| (7) श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री | - 1 घंटे 30 मिनट |

- | | | |
|------|---|------------------|
| (8) | श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री | — 1 घंटे 30 मिनट |
| (9) | श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री | — 1 घंटे 30 मिनट |
| (10) | श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री | — 1 घंटे |
| (11) | श्री टंक राम वर्मा, राजस्व मंत्री | — 1 घंटे |
| (12) | श्री गजेन्द्र यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री | — 1 घंटे |
| (13) | श्री गुरु खुशवंत साहेब, अनुसूचित जाति विकास मंत्री | — 1 घंटे |
| (14) | श्री राजेश अग्रवाल, पर्यटन, संस्कृति मंत्री | — 1 घंटे |

3. विधि विषयक कार्य—शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण किया गया जो इस प्रकार है:—

- | | | |
|-----|---|----------------|
| (1) | छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 | 1 घंटा 30 मिनट |
| (2) | छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2026 | 30 मिनट |
| (3) | छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2026 | 30 मिनट |
| (4) | छत्तीसगढ़ लोक परीक्षा (भर्तियों में अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2026 | 1 घंटा 30 मिनट |
| (5) | छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 | 30 मिनट |

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा